न्यायालय उपखण्डाधिकारी बसेडी

प्रकरण संख्या 40 / 18

1. दुल्हेराम पुत्र राधाकिशन जाति गुर्जर निवासी सांगौरी तहसील बसेडी जिला धौलपुर

— वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर धौलपुर
2. तहसीलदार, बसेडी

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.ए बावत् दुरस्ती इन्द्राज

पीठासीन अधिकारी—प्यारेलाल सौठवाल, आर.ए.एस.

वकील वादी – श्री सन्दीप कुमार शर्मा एडवोकेट

वकील प्रतिवादी – पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांकः— 08.02.2020

हस्तगत प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि एक प्रार्थना पत्र बावत् हक एवं दुरस्ती प्रार्थी आराजी खसरा नम्बर 212 रकवा 0.1300 है0,213 रकवा 0.2900 है0 ,215 रकवा 0.2200 है0कुल किता 03 कुल रकवा 0.6400 है0वाके ग्राम खिडौरा में 1/4 भाग का अभिलिखित खातेदार काश्तकार है तथा काविज है। प्रार्थी तथा भगवानसिंह ने गत खसरा ने गत खसरा नम्बर 129 तथा खसरा नम्बर 130 में से रामो व रामवती से दोनो का सम्पूर्ण 1/2 भाग जरिये रजिस्टर्ड बयनामा तारीख 31.08.1971 को क्रय किया था जिसका नामान्तकरण संख्या 113 दिनांक 14.09.1971 को मुताविक विक्रय पत्र नामान्तकरण सही तस्दीक किया तथा नामान्तकरण में प्रार्थी क सम्मवत् 2039 से 2042 वाके ग्रम खिडौरा प्रार्थी की जाति गुर्जर अंकित है । इस के बाद में राजस्व कर्मचरियों से लिपिकीय त्रृटि वश गुर्जर जाति की जगह प्रार्थी की जाति सहवन से मुसलमान तेली अंकित हो गयी है। उपरोक्त त्रृटि राजस्व कर्मचारियों से लिपिकीय भूलवश हो गयी है जिसको शुद्व (दुरस्त) किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है प्रार्थी की जाति गुर्जर है तथा राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की जाति मुसलमान तेली की जगह गुर्जर अंकित किया जावें। तथा राजस्व रिकार्ड में दुरस्त करवाया जावे। उपरोक्त त्रृटि एक राजस्व कर्मचारियों की लिपिकीय त्रृटि है

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी तहसीलदार बसेडी ने जबाव दावा प्रार्थना पत्र इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी में प्रार्थी की वास्तविक जाति गुर्जर है जो विक्रय पत्र में अंकित जो

उपखण्ड अधिकारी
बसेडी (धौलपुर) राज.

नही है मेने पत्रावली का अवलोकन किया व पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं अप्रार्थी के जबाव के अनुसार प्रार्थी की जाति गुर्जर है

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर हाल खसरा नम्बर 212 रकवा 0.1300 है0,213 रकवा 0.2900 है0 ,215 रकवा 0.2200 है0कुल किता 03 कुल रकवा 0.6400 है0वाके ग्राम खिडौरा में प्रार्थी की जाति गुर्जर अंकित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(प्यारेलाल सौठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
बसेडी

उपखण्ड अधिकारी
बसेडी (धौलपुर) राज.